राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

रण संख्या : 109/2023
रीख दायर : 08.12.2023

उनवान

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र भागुता जाति बैरवा निवासी गणेशपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी...

बनाम

1. देबी पुत्र मांगू जाति चमार निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. भूरी पुत्री मांगू जाति चमार निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. भोलू पुत्र मांगू जाति चमार निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण...

उपस्थित :–

1. श्री संदीप कुमार शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

दिनांक :08.05.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार जन के नाम की संयुक्त खातेदारी भुमि ग्राम महुआ पटवार हल्का महुआ तहसील माण्डलगढ़ की शरहद मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 997/1 रकबा 1.0603 हेक्टर से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी मे अपने नाम दर्ज हिस्से 9/131 का बटवाड़ा किये जाने बाबत् न्यायालय श्रीमान मे विभाजन का वाद बअनुवान प्रकाशचन्द्र बैरवा बनाम देबी वगेरा प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण सख्या 26/2023 कायम किये गये। प्रार्थी का उक्त विभाजन का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार साहब माण्डलगढ़ से बटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया। विवादित आराजियात के बटवाड़ा प्रस्ताव के सम्बन्ध मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित गया कि विवादित आराजी संख्या 997/1 जमाबन्दी मे दर्ज रकबा 1.0603 हेक्टर मे मुकाबले राजस्व नक्शा (लट्ठे) व ऑन लाईन नक्शे मे 0.1619 हेक्टर तक ही तरमीम हो रखी है जो जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के मुकाबले मे कम है तथा राजस्व नक्शा (लटठे) व ऑन लाईन नक्शे मे नियमानुसार शुद्धि उपरान्त ही बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव है। तहसीलदार साहब द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी संख्या 997/1 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता मांगू पिता घीसा चमार को श्रीमान के आदेश द्वारा जरिये मिसल संख्या 17/1966 से आवंटन की गयी एंव मौके पर आवंटन वर्ष के पूर्व से ही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। राजस्व नक्शे का अवलोकन करने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को तहसीलदार साहब द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सर्व प्रथम ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी आवंटित रकबे के अनुसार नक्शे मे तरमीम नही है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 जमावन्दी मे दर्ज रकबे के अनुसार 1.0603 हेक्टर पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। ऑन लाईन नक्शे के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 997/1 का तरमीम भी आवंटन वर्ष से कब्जेनुसार नही होकर आराजी संख्या 997/2 के पूर्व की ओर 997/1 तरमीम हो रखी है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 आवंटन वर्ष 1966 से ही आराजी संख्या 997/2 के उत्तरी दिशा में आराजी संख्या 3126/2805 के पास मौके पर कब्जा काश्त 1966 एवम उससे पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

राजस्थान सरकार

के समय से ही चला आ रहा है। मिसल संख्या 17/1966 आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रार्थी ने केन्द्रीय अभिलेखागार जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा व श्रीमान के यहॉ आवेदन ुत किया किन्तु रेकार्ड उपलब्ध नही हो सका जबकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अपने पिता मांगू ता घीसा चमार निवासी महुआ को आवंटन हुये वर्ष से ही मौके पर काबिज है तथा 997/2 के पूर्व मे 997/1 तरमीम हो रखी है वह कब्जे अनुसार नही है। उक्त गलत तरमीम की अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व प्रार्थी को सर्व प्रथम जानकारी तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से हुयी है। इस प्रकार आराजी संख्या 997/1 जमाबन्दी में दर्ज रकबे 1.0603 हेक्टर के अनुसार नक्शे मे तरमीम मौके पर कब्जेनुसार किया जाना न्याय संगत है। वादग्रस्त आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे होने से प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के समायत योग्य है। प्रार्थनापत्र वांछित न्यायालय शुल्क पर होकर ताईद मे शपथपत्र पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महुआ पटवार हल्का महुआ तहसील माण्डलगढ़ की शरहद मे स्थित आराजी संख्या 997/1 रकबा 1.0663 हेक्टर के जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे व ऑन लाईन नक्शे मे कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.03.2024 को विपक्षीगण द्वारा सम्मन लेने से इन्कार कर देने के कारण विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये एवम वादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्ड व नक्शे में वास्तविक स्थिती बाबत तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट तलब की गयी। दिनांक 01.05.2024 को तहसीलदार माण्डलगढ़ ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस अन्तिम में नियत की गयी। दिनांक 08.05.2024 को बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी एवम पेरोकार सरकार को भी सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दोराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी 997/1 जमाबन्दी मे दर्ज रकबे 1.0603 हेक्टर के मुकाबले राजस्व नक्शे (लट्ठे) व ऑन लाईन नक्शे मे 0.1619 हेक्टर दर्ज हो गयी है जो जमाबन्दी मे दर्ज रकबे से कम है। उक्त तथ्य की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बटवाड़े के बाद में प्रस्तुत तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से हुई एवम इस प्रकरण मे प्रस्तुत तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट मे भी उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है तथा तहसीलदार साहब ने भी अपनी रिपोर्ट मे राजस्व नक्शा शीट व ऑन लाईन नक्शा मे उक्त अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित है वर्णित किया है इसलिए प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा नक्शे मे शुद्धि की जावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का एवम उसके साथ संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी एवम् बटवाड़े के दावे मे तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 मे वादग्रस्त आराजी संख्या 997/1 का रकबा 1.0603 दर्ज है। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया है कि आराजी संख्या 997/1 रकबा 1.0117 की राजस्व नक्शा लट्ठा शीट मे तरमीम जमाबन्दी अनुसार नही है। ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम 0.1538 हेक्टर की है। इस प्रकार ऑन लाईन नक्शा में तरमीम नक्शे व जमाबन्दी मे दर्ज रकबे से 0.8579 हेक्टर कम है। प्रस्तुत रिपोर्ट मे यह भी वर्णित किया कि खातेदारान के पास उपलब्ध राजस्व बुक मे संलग्न नक्शानुसार आराजी संख्या 997/1 रकबा 1.0117 हेक्टर की तरमीम प्रस्तावित की जा रही है। प्रस्तावित तरमीम का नक्शा संलग्न है तथा अंत मे रिपोर्ट पेश कर प्रस्तावित तरमीम किया जाना उचित होना वर्णित किया है। चूंकि तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट में जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार वादग्रस्त आराजी नक्शे मे तरमीम न हो पाना एवम नक्शे मे शुद्धि कर प्रस्तावित नक्शे के अनुसार शुद्धि कर तरमीम किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, जमाबन्दी सम्वत 2033 से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

राजस्थान सरकार

य नामान्तकरण संख्या 164 से भी यह बखूबी प्रमाणित है कि विवादित आराजी 997/1 संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज मांगू पिता घीसा चमार को जरिये आवंटन प्राप्त हुई है। ऐसी ति मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या यह द्ध है कि आराजी संख्या 997/1 जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार नक्शे मे तरमीम नही है। साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट मे तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा यह भी अंकन किया गया है कि आराजी संख्या 997/1 जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम करने पर आराजी संख्या 3127/2805 रकबा 0.1700 हेक्टर , आराजी संख्या 3126/2805 रकबा 0.1133 है व आराजी संख्या 997 रकबा 1.0117 है की तरमीम भी प्रभावित होती है। आराजी संख्या 3127/2805, 3126/2805 की वर्तमान तरमीम भी जमाबन्दी मे दर्ज रकबे से कम है। उक्त आराजियात की राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज रकबा व मोके पर कब्जा अनुसार तरमीम प्रस्तावित की जा रही है, को भी तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि **ग्राम महुआ पटवार हल्का महुआ तहसील माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 997/1 के राजस्व नक्शे लट्ठा शीट एवम् ऑन लाईन नक्शे मे जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तावित तरमीम नक्शे को आधार मानते हुये राजस्व नक्शे लट्ठा शीट व ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम कर शुद्धि की जावे** एवम् इस हेतु तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश की पालना हेतु लिखा जावे। साथ ही प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 3127/2805 व 3126/2805 की वर्तमान तरमीम भी जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की एवम् प्रस्तावित नक्शे की प्रति साथ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़